कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

आदेश

कार्यालय की समीक्षा के क्रम में एवं कतिपय वाहन मालिकों की शिकायत से ऐसा प्रतीत हुआ है कि माह अप्रैल–2023 एवं मई–2023 में सम्पन्न हुए इस क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में स्वीकृत किये गये परमिट आवेदनों के विरूद्ध निर्गत परमिट में कुछ मामलों में समय–सारणी एवं निर्गत परमिट की कार्यालय प्रति एवं वाहन स्वामी की प्रति में कतिपय विसंगति है। अतः सभी सम्बन्धित वाहन स्वामियों से आग्रह है कि वैसे सभी मामले जिसमें खेप की कटौती की गयी है या जिन मामलों में आवेदित समय–सारिणी में कोई विसंगति है, तो वे अनिवार्य रूप से दो दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी से अचूक रूप से निर्गत परमिट के साथ उसका निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि वाहन परिचालन में कोई कठिनाई न हो।

इसे अत्यावश्यक समझेंगे।

ह०/-
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांकः–RTA -2–6 / 2022(P-1) 491 **/परि0** **दिनांकः–** 16-06-2023

प्रतिलिपिः– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी वाहन स्वामियों को इस संबंध में ससमय सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

16/6/23
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।